न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 244/2022

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण:

1.खेराजराम पुत्र वीरमाराम उम्र 70 वर्ष

2.लाखाराम पुत्र वीरमाराम उम्र 82 वर्ष जातियान जाट निवासी गिरली चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:

1. सताराम पुत्र दीपाराम उम्र 65 वर्ष निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु बाड़मेर
2. गेनाराम पुत्र मोडाराम उम्र 60 वर्ष–
3. गुमनाराम पुत्र मोडाराम उम्र 58 वर्ष
4. विशनाराम पुत्र पूराराम उम्र 49 वर्ष
5. सुरताराम पुत्र पूराराम उम्र 46 वर्ष जातियान जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाडमेर
6. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
7. श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भवंरलाल सारण वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री अमराराम चौधरी वकील विप्रार्थी सं. 4 अनुपस्थित।
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 7 की ओर से उपस्थित।
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक– 20.09.2023

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 41/2 रकबा 4.5870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 62 रकबा 8.2598 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8468 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 41/4 रकबा 45870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/3 रकबा 8,3003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8873 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी के खसरा संख्या 40 रकबा 0.0485 हैक्टेयर खसरा संख्या 43/3 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62 रकबा 1.3996

हैक्टेयर कुल रकबा 1.5533 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खेत खसरा संख्या 41/1 रकबा 9.0608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/1 रकबा 15.2092 हैक्टेयर कुल रकबा 24.2700 हैक्टेयर ग्राम गिरली चारणान पटवार मण्डल करना तहसील सिणधरी में आये हुए है जो मूल खसरा संख्या 41 व 62 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुऐ है। कि उक्त विभाजन से प्रार्थी संख्या 1 के नवीन खसरा संख्या 41/2, 74 / 62 प्रार्थी संख्या 2 के नवीन खसरा संख्या 41 /4 व 62 / 3 कायम हुऐ तथा इसी प्रकार विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 40 41/3 व 62 तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खसरा संख्या 41/1 व 62/1 कायम हुए। मूल खसरा के विभाजन से प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 41/2, 74/62, 41/4, 62/3 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाडे आदि बने हुऐ है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित स्थान से बिलकूल विपरित स्थान पर है अर्थात मौजूदा तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की ढाणी, टांके, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि के अन्दर तरमीम कर दी गई है जबकि भौतिक रूप से उक्त रहवासी ढाणियां एवं टांके तथा चारबाड़े आदि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विद्यमान है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में तरमीम व मौके की स्थिति में भारी भिन्नता होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा हो रही है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 से 6 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 4 के वकील की ओर से न तो जवाब पेश किया ओर न ही सुनवाई हेतु उपस्थित हुए, ऐसी स्थिति में उनके जवाब का असवर बंद किया गया, विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 41/2 रकबा 4.5870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 62 रकबा 8.2598 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8468 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 41/4 रकबा 45870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/3 रकबा 8,3003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8873 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी के खसरा संख्या 40 रकबा 0.0485 हैक्टेयर खसरा संख्या 43/3 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62 रकबा 1.3996 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5533 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खेत खसरा संख्या 41/1 रकबा 9.0608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/1 रकबा 15.2092 हैक्टेयर कुल रकबा 24.2700 हैक्टेयर ग्राम गिरली चारणान पटवार मण्डल करना तहसील सिणधरी में आये हुए है जो मूल खसरा संख्या 41 व 62 से विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुऐ है। मूल खसरा के विभाजन से प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 41/2, 74/62, 41/4, 62/3 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त जिसमें पक्षकारान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2025.10.11 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

की रहवासी ढाणी, टांके, चारबाडे आदि बने हुऐ है जो राजस्व रेकर्ड में अंकित स्थान से बिलकूल विपरित स्थान पर है अर्थात मौजूदा तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की ढाणी, टांके, विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की भूमि के अन्दर तरमीम कर दी गई है जबकि भौतिक रूप से उक्त रहवासी ढाणियां एवं टांके तथा चारबाड़े आदि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विद्यमान है।प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा प्रति नकल लेने पर पता चला कि मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी सं. 7 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि ग्राम गिरली चारणान पटवार मण्डल करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या प्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा संख्या 41/2 रकबा 4. 5870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 74 62 रकबा 8.2598 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8468 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 41/4 रकबा 45870 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/3 रकबा 8,3003 हैक्टेयर कुल रकबा 12.8873 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी के खसरा संख्या 40 रकबा 0.0485 हैक्टेयर खसरा संख्या 43/3 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62 रकबा 1.3996 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5533 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 के खेत खसरा संख्या 41/1 रकबा 9.0608 हैक्टेयर, खसरा संख्या 62/1 रकबा 15.2092 हैक्टेयर कुल रकबा 24.2700 हैक्टेयर तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.02.2023 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने अपनी जांच रिर्पोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरली चारणान पटवार मण्डल करना तहसील सिणधरी की खेत मूल खसरा संख्या 41 व 62 से विभक्त होकर कायम हुए नये खसरान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.02.2023 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जा हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.09.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.10.11 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested